# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—300 / 2022 / 225 आर.टी.एक्ट (2022 / 300)**

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. प्रकाश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
2. भरतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
   जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर।
3. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री विमलसिंह जाति रावत निवासी वार्ड नं0 46 कांकरदा भूणाबाय जिला अजमेर।
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री गोपीसिंह जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर।
5. श्रीमती आरती देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति रावत, निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।

**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 04.08.2022 न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर राजस्व वाद संख्या 44 / 2021**

**उपस्थितः—**

1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3 व 5
3. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित

## निर्णय

**दिनांकः—11.02.2026**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के न्यायालय में एक दावा वास्ते बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 5 के विरूद्ध पेश किया गया। उक्त दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए उभयपक्षों को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 04.08.2022 को पाबंद किए जाने के आदेश पारित कर आगामी दिनांक 12.09.2022 तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की मौके व

राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2021 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के अभिभाषक को उक्त आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही दिनांक 4.8.2022 को प्रार्थी के अभिभाषक को दिनांक 12.9.2022 की तारीख पेशी दे दी गई एवं प्रार्थी के अभिभाषक के जाने के पश्चात् रीडर ने एकाएक पत्रावली अन्डर ट्रेनिंग सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर के समक्ष रखकर एक तरफा में प्लीडिंग के विरूद्ध मांगे गए अनुतोष के विरूद्ध जाकर अपने आदेश दिनांक 4.8.2022 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया तथा उक्त आदेश की प्रति वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा पुलिस थाना गेगल में रिपोर्ट पेश कर प्रार्थी को दिनांक 30.9.2022 को नोटिस जारी करवाया एवं दिनांक 1.10.2022 को नोटिस प्राप्त हुआ। जिस पर पुलिस थाना गेगल ने उक्त आदेश का गलत अर्थ लगाकर प्रार्थी की मौके पर खडी फसल को उठाने से, काटने से पाबन्द करते हुए धमकी दी कि ऐसा किया जाने पर आपको जेल में डाल दिया जायेगा। जिस पर प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 1.10.2022 को हुई। प्रार्थी ने अभिभाषक से सम्पर्क किया उनके द्वारा भी उक्त प्रकरण में बहस नहीं होना अवगत कराया एवं दिनांक 12.9.2022 को भी पीठासीन अधिकारी न्यायालय में नहीं होना एवं तारीख पेशी देना एवं उक्त आदेश की जानकारी नहीं होना अवगत कराया एवं उक्त आदेश को चुनौति देने की राय दी। जिस पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 4.10.2022 को प्रस्तुत किया एवं दिनांक 4.10.2022 को ही नकल प्राप्त कर जानकारी से यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी सदभाविक होने से न्यायहित में क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

***आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.***

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

***अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।***

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को दिनांक 17.9.2021 को अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया था परन्तु पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से रीडर द्वारा ही तारीख पेशी दी जा रही थी एवं दिनांक 4.8.2022 को अपीलांट के अभिभाषक को अन्य मुकदमों के साथ उक्त मुकदमे में भी दिनांक 12.9.2022 की पेशी दी गई थी। अपीलांट के अभिभाषक के जाने के बाद उनकी पीठ पीछे रीडर ने उक्त पत्रावली को सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर के समक्ष पेश किया एवं अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के खातेदारी में दर्ज होकर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादी/रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि में उनका हिस्सा निहित है जिसको दिलाया जावे से स्पष्ट था कि वादग्रस्त भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसके बावजूद भी गलत एवं अविधिक रूप से अपने अन्दर निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर जो एक पक्षीय आदेश पारित किया है वह विधि विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि वादग्रस्त भूमि को दिनांक 8.7.2021 को अपीलांट राजेन्द्र सिंह ने रजिस्टर्ड गिफ्ट द्वारा प्राप्त की है जिसका

नामान्तरकरण संख्या 433 दिनांक 20.9.2021 को स्वीकार होकर समस्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज होकर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है, फिर भी इस बिन्दु को अनदेखा कर अपीलांट जो कि एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को बिना सुने रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि पर कहीं भी कब्जा होना नहीं बताया बल्कि वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने एवं खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग व चाहे गए अनुतोष के विपरीत जाकर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है जो विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है एवं वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट की फसल खडी है परन्तु वादी/रेस्पोडेन्ट ने पुलिस थाना गेगल में रिपोर्ट दर्ज करवाई एवं पुलिस थाना गेगल ने उक्त एक पक्षीय स्थगन आदेश का विपरीत अर्थ लगाकर अपीलांट को अपनी खडी फसल को काटने से रोका जा रहा है एवं जेल में डालने की धमकी दी जा रही है जो उनके अधिकार में नहीं है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बिना सुने पारित करने का अधिकार है जिससे आदेश काबिल निरस्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है एवं अपीलांट उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे बिना घोषणा कराये रेस्पोडेन्ट न तो बंटवारे के अधिकारी हैं न ही अपीलांट को पाबन्द कराने के अधिकारी हैं इसके बावजूद भी बिना घोषणा का दावा प्रस्तुत हुए एवं बिना घोषणा का अनुतोष चाहे वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं था। इस बिन्दु को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वादी/रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना अंकित कर बंटवारा चाहा है जबकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी ना होकर अपीलांट के गिफ्टकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं उनके गिफ्ट के पश्चात अपीलांट के खातेदारी में दर्ज होकर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाकर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र, प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का बिना अवलोकन किये एक पक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया है जो विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2021 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिसका विधिक बटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी अविभाजित आराजी है जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है किन्तु अप्रार्थीगण उक्त आराजी को बिना बंटवारा कराये रहन, बैय, मुन्तकिल करने तथा प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में दखलन्दाजी उत्पन्न कर प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर सख्त

आमादा है यदि वे ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक आराजी से महरूम हो जायेगे तथा कब्जा काश्त भी बाधित होगा। अतः अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन करते हुए दिनांक 04.08.2022 को उभयपक्षों को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दिनांक 27.08.2021 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 17.09.2021 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी पेशियों में नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2022 को प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षों को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 12.09.2022 तक पाबंद किए जाने के आदेश पारित किए गए।

प्रकरण में अनेक अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट/अप्रार्थीगण को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का जवाब प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की स्थिति को देखते हुए उभयपक्षों को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के आदेश दिनांक 04.08.2022 को पारित किए गए। अतः न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2022 को यथावत रखा जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

10. अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2021 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 को यथावत रखा जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि अपीलांट/अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का जवाब प्राप्त कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आवश्यक बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में एक माह की अवधि में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षों को मौके व राजस्व रिकार्ड की

यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु पाबंद किया जाता है। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.03.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

11. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**